


अभयसिंह बनाम तहसीलदार आवूरोड

27.03.2024	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी श्री अभयसिंह पुत्र श्री शिवनाथसिंह स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से पेट्रोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण के विचाराधीन के दौरान पटवार हल्का मानपुर भू अभिलेख निरीक्षक मानुपर/मूंगथला द्वारा दिनांक 13.07.2023 को सीमा ज्ञान किया तब पता चला कि प्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा संख्या 47 का रकबा 9 बीघा से अधिक अर्थात् भू-प्रबन्धन (सैटलमेन्ट) द्वारा कम व किस्म परिवर्तन की भूमि 1.18 बीघा जो खसरा संख्या 47 में आ रहा है। अतः शुद्धिकरण हेतु वाद न्यायालय सहायक कलक्टर आवूरोड में धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पेश करना है। अतः इस प्रकरण को जरिए विज्ञोवल निस्तारित किया जाना फरमावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया एवं प्रार्थी स्वयं के निवेदन पर प्रार्थी का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जरिए विज्ञोवल के खारिज किया जाता है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर,सिरोही</p>	
------------	--	--

